

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ****आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 4233 सन् 2026**

ब्रज किशोर

.....प्रार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह सिविल सचिवालय,
लखनऊ

.....विपक्षी(गण)

प्रार्थी(गण) की ओर से अधिवक्ता : अनिल कुमार सिंहविपक्षी(गण) की ओर से अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 11**माननीय न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी**

1. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री अनिल कुमार सिंह, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्रीमती रंजना श्रीवास्तव को सुना गया तथा अभिलेखों का अवलोकन किया गया।
2. वर्तमान आवेदन, पुलिस थाना सांडी, जिला हरदोई में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 78 वर्ष 2026, अंतर्गत धारा 3(5), 115(2), 352, 351(3), 105 भारतीय न्याय संहिता में प्रार्थी को जमानत पर रिहा किए जाने की मांग करते हुए दायर किया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

3. उपर्युक्त मामला दिनांक 17.03.2026 को प्रार्थी और उसके दो पुत्रों सहित पांच व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज कराई गई एक प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर पंजीकृत किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जब शिकायतकर्ता और उसके परिवार के सदस्य अपने घर के सामने बैठे थे, तब आरोपी व्यक्ति वहां आए और चकरोड के उपयोग से संबंधित रंजिश के कारण उन्हें गाली देने लगे। जब सूचनाकर्ता ने आपत्ति जताई, तो सभी आरोपी व्यक्तियों ने सूचनाकर्ता, उसके भाई, पिता और माता के साथ मारपीट की, जिससे उन्हें चोटें आईं। सूचनाकर्ता के पिता ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद उसी दिन अपनी चोटों के कारण दम तोड़ दिया।

4. मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट में सिर के बाईं ओर 5 से०मी० आकार का एक सिला हुआ घाव जिसमें सात टांके लगे थे, सिर के बाईं ओर 12 से०मी० X 8 से०मी० आकार का एक नीलगू निशान, सिर के पिछले हिस्से पर 6 से०मी० X 4 से०मी० आकार का एक नीलगू निशान, और दाहिनी बांह पर 3 से०मी० X 1 से०मी० आकार का एक फटा हुआ घाव होने का उल्लेख है। बाईं टेम्पोरल और पेराइटल हड्डियां खंडित पाई गईं। मृत्यु का कारण मृत्यु-पूर्व सिर की चोट के परिणामस्वरूप कोमा होना बताया गया। इस घटना में तीन और व्यक्तियों को चोटें आई हैं जो कि प्रकृति में साधारण थीं।

5. जमानत आवेदन के समर्थन में दाखिल शपथ पत्र में यह कथन किया गया है कि प्रार्थी निर्दोष है और उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। जमानत आवेदन के समर्थन में दाखिल शपथ पत्र के पैरा 21 में पुलिस थाना सांडी, जिला हरदोई के अपराध संख्या 63 वर्ष 1985, अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 302, 323, 325 भारतीय दंड संहिता से उत्पन्न सत्र परीक्षण संख्या 617 वर्ष 1985 में प्रार्थी की संलिप्तता का प्रकटीकरण किया गया है, जिसमें उसे इस न्यायालय द्वारा जमानत प्रदान की जा चुकी है। यह भी कथन किया गया है कि इसी घटना के संबंध में प्रार्थी की ओर से भी एक प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 79 वर्ष 2026 दर्ज कराई गई थी और इस घटना में प्रार्थी के दामाद प्रवेश कुमार को भी चोटें आई हैं। उनकी चोट की रिपोर्ट में सिर के बाईं ओर फ्रंटो-पेराइटो-टेम्पोरल क्षेत्र पर एक बड़े विदारित घाव के साथ सिर की चोट और दाहिनी टांग पर किसी कुंद वस्तु की चोट का उल्लेख है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

6. आवेदन के समर्थन में दाखिल शपथ पत्र में यह कथन किया गया है कि प्रार्थी 78 वर्ष की आयु का एक वृद्ध व्यक्ति है, वह लाठी चलाने की स्थिति में नहीं है, उसने स्वयं दिनांक 26.03.2026 को विचारण न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया था और उसने जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग न करने का वचन दिया है।

7. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है और उन्होंने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि विवेचना के दौरान प्रार्थी के विरुद्ध आरोपों की पुष्टि हुई है और दिनांक 18.05.2026 को आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है।

8. मामले के उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में सभी आरोपी व्यक्तियों के विरुद्ध सामान्य आरोप लगाए गए हैं और प्रार्थी के विरुद्ध कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाया गया है; घटना की एक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रार्थी के पक्ष से भी दर्ज कराई गई है और घटना में प्रार्थी के दामाद को चोटें आई हैं; प्रार्थी एक 70 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति है जिसने स्वयं अभिरक्षा में आत्मसमर्पण किया है और वह दिनांक 26.03.2026 से जेल में निरुद्ध है तथा विवेचना पहले ही पूर्ण हो चुकी है, और मामले के गुण-दोषों पर कोई टिप्पणी किए बिना, जो मामले के गुण-दोष को प्रभावित कर सकती हो, मेरा यह मत है कि उपर्युक्त तथ्य उपर्युक्त अपराध में प्रार्थी को जमानत पर रिहा करने का मामला बनाने के लिए पर्याप्त हैं।

9. तदनुसार, यह जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

10. **प्रार्थी-ब्रज किशोर** को उपर्युक्त मामले में संबंधित मजिस्ट्रेट/न्यायालय के संतोषप्रद, एक व्यक्तिगत बंध पत्र और उतनी ही धनराशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा कर दिया जाए:-

(i) प्रार्थी अभियोजन के साक्ष्यों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा;

(ii) प्रार्थी अभियोजन के गवाहों पर कोई दबाव नहीं बनाएगा;

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iii) प्रार्थी विचारण न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तिथि पर उपस्थित होगा, जब तक कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दे दी गई हो।

17 जून, 2026

राम

(न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।